श्री बालामुरूगन डी0,भा.प्र.से., जिलाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा दिनांक 01.11.2012 को जिला निबंधन कार्यालय, जहानाबाद का किये गये निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी :–

1. इस कार्यालय का निरीक्षण हेतु पूर्व से ही 27.09.2012 का तिथि निर्धारित किया गया था, परन्तु निरीक्षण हेतु प्रतिवेदन तैयार नहीं किये जाने के कारण उक्त तिथि को निरीक्षण नहीं किया जा सका। इसके उपरांत दिनांक 03.10.2012 का तिथि निर्धारित किया गया, जिसमें भी निरीक्षण नहीं किया गया। इसके पश्चात दिनांक 01.11.2012 का तिथि निर्धारण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कार्यालय में साफ–सफाई नहीं है, चारों तरफ गंदगी है। कागज के टुकड़े इधर–उधर बिखरे पड़े थे। कुड़ादान नहीं रखा गया है। सभी वांछित प्रतिवेदन भी तैयार नहीं किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि जिला अवर निबंधक, जहानाबाद के द्वारा कार्यालय के निरीक्षण हेतु कोई तैयारी नहीं की गई है।

2. **सामान्य परिचय** :– यह निबंधन कार्यालय 1972 ई0 में अवर निबंधन कार्यालय के रूप में अस्तित्व में आया था जो उस समय जिला निबंधन कार्यालय, गया के नियंत्रणाधीन था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन) बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 123, दिनांक 03.03.1987 के द्वारा इसे जिला निबंधन कार्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान समय में इसके क्षेत्राधिकार में जहानाबाद, काको, मखदुमपुर, रतनी फरीदपुर, घोसी, मोदनगंज एवं हुलासगंज सहित कुल सात अंचल हैं। यह कार्यालय पटना–गया मुख्य सड़क के पश्चिमी किनारे अनुमंडल कार्यालय, जहानाबाद के परिसर में अवस्थित है।

3. **सामान्य सूचनाऐं** :– दिनांक 08.06.2006 से दस्तावेजों के निबंधन की कम्प्युटरीकृत प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। कम्प्यूटरीकृत निबंधन व्यवस्था का संचालन जिलास्तरीय सोसाईटी जहानाबाद स्कोर के द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था में दस्तावेजों के निबंधन के लिए आवश्यक मुद्रांक शुल्क, निबंधन शुल्क एवं अन्य शुल्क बैंक चालान के माध्यम से पक्षकार द्वारा सीधे भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, जहानाबाद में जमा किया जाता है। बैंक चालान द्वारा जमा राशि से संबंधित चालान की कार्यालय प्रति प्राप्त होने के पश्चात दस्तावेजों का निबंधन कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के तहत की जाती है। दस्तावेज के निबंधन के क्रम में पक्षकारों के छायाचित्र एवं अंगुलियों के निशान कम्प्यूटर के माध्यम से लिये जाते हैं। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाहों का निबंधन तथा अभिप्रेत विवाह को सम्पन्न कराना भी कम्प्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। शुल्क पंजी एवं अनुक्रमणी तथा धारा 52 (ख) की रसीद भी कम्प्यूटर ही जनित करता है। विभागीय पत्रांक VI/C1-107/2012-2140 दिनांक 30.08.2012 के अनुसार 200/–- (दो सौ) रूपया तक की कोई राशि जमा करनी है तो उसे मुद्रांक या नगद प्राप्त कर चालान के द्वारा संबंधित खाते में जमा किया जाना है।

4. **भवन की स्थिति** : पुराना भवन होने के बावजूद स्थिति ठीक है, परन्तु जिला अवर निबंधन कार्यालय के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि स्थान की बहुत कमी है। अभिलेखागार में जहाँ मात्र एक वर्ष का अभिलेखों का गोदाम हो गया है, जिसके संरक्षण के लिए कीट नाशक दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है। वैसे निबंधन विभाग के द्वारा नया कार्यालय भवन एवं अभिलेखागार बनाने का आदेश IDA बिहार को दिया गया है, जिसके द्वारा Soil Testing का काम समाप्त कर ले–आउट कर लिया गया है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब कार्य प्रारम्भ करायें तथा यदि कार्य प्रारम्भ करने या अन्य किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो इसकी सूचना समाहर्ता, जहानाबाद को उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन : जिला अवर निबंधक, जहानाबाद)

5. **प्रभार (दिनांक 06.03.2003) :**

क्र0	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री ओम प्रकाश गुप्त	जिला अवर निबंधक	6.3.2003	23.7.2003
2	श्री विद्यानन्द सिंह	कार्य.दण्डा (प्रभार में)	24.7.2003	2.8.2003